न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 40 / 2017

1 श्रीचन्द पुत्र स्व. श्री भोलाराम जाति जाट निवासी खुड़िया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 सुभाष पुत्र स्व. भोलाराम जाति जाट निवासी खुड़िया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

1 ओमप्रकाश पुत्र स्व. भोलाराम जाति जाट निवासी खुड़िया तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
2 श्रीमती मोहरी पत्नी स्व. श्री रामनाथ सिंह जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
3 श्रीमती विद्या देवी पुत्री स्व. श्री रामनाथ सिंह जाति जाट निवासी अलीपुर तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। दौराने अपील मृतक
3 / 1 अजय कुमार दत्तक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद जाति जाट निवासी फतेहसरी तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं राज.।
4 प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा बगड़ तहसील व जिला झुन्झुनूं।
5 राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

प्रथम अपील अन्तर्गत सेक्शन 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 11.02.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा बमुकदमा उनवानी श्रीचन्द वगै. बनाम औमप्रकाश वगै. दावा घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती मु.नं. 104 / 2016

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री विजयपाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री महिपाल कपुरिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनूपस्थित)
3. श्री सचिन शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट (अनूपस्थित)

—निर्णय—

दिनांकः— 15/7/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा नम्बर 104/2016 में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण अपीलान्टस की ओर से एक वाद घोषणार्थ व रिकार्ड दुरूस्ती वाके ग्राम 350, 413 वाके ग्राम खुड़िया तहसील चिड़ावा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी अस्वीकार किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि दावा हाजा में दर्ज कथन के मुताबिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 खेत खसरा नम्बर 412 रकबा 3.77 हैक्टेयर वाके ग्राम खुड़िया तहसील चिड़ावा वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 की बहिस्सा बराबर के हिसाब से संयुक्त खातेदारी काश्त व कब्जे की आराजी हैं जिसको वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बरान 1 लगायत 3 ने अदालत हाजा में राजीनामा पेश कर इस तथ्य को स्वीकार किया है। मामला हाजा में मात्र राजस्व रिकार्ड की गलती का है जबकि उक्त खेत खसरा नम्बर 412 रकबा 3.77 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से प्रतिवादीगण नम्बरान नम्बर 2 व 3 की खातेदारी में गलत दर्ज हो गया जबकि इकसे असलियत में इसके खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 है। इसी प्रकार से हाल खसरा नम्बर 413 रकबा 3.78 हैक्टेयर वाके ग्राम खुड़िया तहसील चिड़ावा प्रतिवादीगण नम्बरान 2 व 3 की संयुक्त

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खातेदारी काश्त व कब्जा की आराजी है। मगर राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों की गलती से उक्त आराजी खसरा नम्बर 413 रकबा 3.78 हैक्टेयर बहक वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदारी काश्त में गलत दर्ज हो गई जबकि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ने इस आराजी को कभी काश्त नहीं किया व ना ही कब्जा रहा ये सही है कि अलबता ये कानूनी धारणा है कि राजस्व रिकार्ड सही माना जाता है परन्तु गलत होने पर खण्डनीय साक्ष्य के द्वारा इसको गलत भी साबित किया जा सकता है। इस प्रकार से राजस्व रिकार्ड की दुरूस्ती राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के सेक्शन 136 के तहत की जा सकती है तथा किसी शक्स का राजस्व रिकार्ड उसकी भूमि का गलत होने पर प्रभावित पक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सेक्शन 88 के तहत न्यायालय से अपनी खातेदारी काश्त की घोषणा करवा सकता है। इस प्रकार से वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 तथा प्रतिवादीगण नम्बरान 2 व 3 ने अपनी अपनी खातेदारी काश्त व कब्जे की उपरोक्त आराजियात के खातेदारी की घोषणा चाही गई है व राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाना चाहा है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर एक स्वीकृत तथ्य है तथा जब प्रतिवादीगण नम्बरान 2 व 3 ने वादीगण के दावे को स्वीकार कर लिया तथा प्रतिवादीगण नम्बरान 2 व 3 के कथन को बमुजिब राजीनामा वादीगण ने स्वीकार कर लिया तो फिर विचारण न्यायालय ने पास उपरोक्त प्रकार से पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। परन्तु विचारण न्यायालय ने अपने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 11.02.2017 के द्वारा वादीगण के दावा को खारिज कर अहम कानूनी भूल की है। प्रतिवादी संख्या 5 राजस्थान सरकार के द्वारा प्रस्तुत जवाब देही विरोधाभाषी है तथा भूमि विनिमय (चकबन्दी) का वादीगण के मुकदमा को बताकर वाद वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। विचारण न्यायालय ने कानूनन भूमि विनिमय (चकबन्दी) को समझाने मे बड़ी भारी भूल की है। वादीगण ने कोई चकबन्दी का मामला हाजा विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है तथा ना ही कोई एक दूसरे की जमीन को अदले बदले हस्तान्तरण चाहा है बल्कि गलत राजस्व रिकार्ड की जरिये घोषणा दुरूस्ती चाही गई है जो विचारण न्यायालय द्वारा दी जा सकती थी परन्तु विचारण न्यायालय ने उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 11.02.2017 पारित करते वक्त कानून की मूल सही भावना को नहीं समझी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

व ना ही विचारण न्यायालय की पत्रावली पर अपना माईन्ड अप्लाई किया इसलिये विचारण न्यायालय के द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांकित 11.02.2017 मय खर्चा काबिजे खारिज है तथा वाद वादीगण उपरोक्त प्रकार से न्यायहित में डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण अपीलान्ट ने वाद प्रस्तुत कर राजीनामें के आधार पर ग्राम खुड़िया तहसील चिड़ावा की भूमि खसरा नम्बर 413 रकबा 3.78 हैक्टेयर के स्थान पर वादी प्रतिवादी संख्या 1 को खसरा नम्बर 412 का खातेदार काश्तकार घोषित करने एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 को खसरा नम्बर 413 का खातेदार घोषित करने का अनुतोष चाहा है।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष तहसीलदार द्वारा चिड़ावा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट कथन किया गया है कि वादीगण ने वादपत्र में ऐसा कोई वर्णन नहीं किया गया है कि राजस्व रिकार्ड पूर्व में सही था एवं बाद में राजस्व रिकार्ड में त्रुटि हुई है। जब राजस्व रिकार्ड में वादी किसी प्रकार की त्रुटि ही नहीं बता रहा है तो दुरूस्ती किस प्रविष्टी की करवानी है। इस वाद में वादी ने वाद हेतुक भी अंकित नहीं किया है। इसके अभाव में वाद वादी पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है। तहसीलदार का यह कथन अखण्डनीय है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने राजीनामा प्रस्तुत किया है। विचारण न्यायालय ने राजीनामा तस्दीक किया है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके समक्ष वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा उपस्थिति होकर राजीनामा प्रस्तुत करने के तथ्य को तस्दीक किया गया है। राजीनामें के मुताबिक डिक्री करने का विधि में आज्ञापक प्रावधान नहीं है। विचारण न्यायालय ने विधि के आलोक में राजीनामें के मुताबिक वाद डिक्री करना विधि सम्मत नहीं मानकर विचाराधीन निर्णय से दावा खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण घोषणा का नहीं होकर विनिमय का है। विचारण न्यायालय ने इसी कारण विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया है। वादी विधिक प्रक्रिया अनुसार राजस्थान पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के नियमानुसार विनिमय हेतु सक्षम स्तर पर भूमि विनिमय (चकबंदी) बाबत सुसंगत धाराओं में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर